

खातेदारी भूमि में नामान्तरण बाबत प्रार्थना-पत्र

(राजस्थान कास्तकारी अधिनियम की धारा १३२ के अन्तर्गत)

निवेदक मुझ प्रार्थी का है कि
नाम के खसरा संख्या की
कुल भूमि के एकल संयुक्त खातेदार श्री
निधन हो गया है, जिसके जायज उत्तराधिकारियों की सूची निम्न प्रकार से है।

1. मृतक के पुत्र
2. मृतक की पुत्रियाँ
3. मृतक की विधवा
4. मृतक के मृत पुत्र के पुत्र
5. मृतक के मृत पुत्र की पुत्रियाँ
6. मृतक के मृत पुत्र की विधवा
7. मृतक के मृत पुत्र के पौत्र, पौत्रियां एवं अन्य

मृतक अविवाहित/नाऔलाद/यतीम है एवं उनके नजदीकी हकदारों का कुर्सीनामा निम्न है ।

अतः अनुरोध है कि स्तम्भ में दर्ज हकदारों के नाम उक्त भूमि का
नामान्तरण दर्ज करवाने, कार्यवाही करने की कृपा करावें ।

हस्ताक्षर प्रार्थीगण

उपरोक्त तथ्य सही व निष्पक्ष है ।

- | | | | |
|---------|------------------------|---------|------|
| 1. | वार्ड पंच, वार्ड | 3. | गवाह |
| 2. | वार्ड पंच, वार्ड | 4. | गवाह |

स्तम्भ संख्या एक से चार सही है जो प्रमाणित किये जाते है एवं स्तम्भ संख्या पांच नहीं किया जाता है ।
स्तम्भ संख्या दो/तीन में वर्णित हकदारों के नाम मृतक की स्तम्भ एक में दर्ज की खातेदारी भूमि दर्ज कर
नामान्तरण आगामी पंचायत बैठक में स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करने के लिए पटवारी
की आदेश दिया जाता है । इति दिनांक

हस्ताक्षर सरपंच, मय मोहर